संo संo–SHSB/GA/284/10/Part-II/........

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संजय कुमार, भाoप्रoसेo
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
बिहार सरकार

आदेश

दिनांकः–..............

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के आदेश ज्ञापांक 5386 दिनांक 24.10.2019 द्वारा TCIL (Telecommunications Constultants India Limited, New Delhi) को SNCU का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने तथा एकरारनामा की कंडिका 19 एवं 20 में सन्निहित प्रावधानों के उल्लंघन करने के कारण एकरारनामा रद्द करते हुए 5 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करने का आदेश दिया गया है। साथ ही उक्त एजेन्सी को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार/जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा अथवा निर्माण कार्य जैसी क्रियाओं में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गयी है।

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के उक्त आदेश के विरूद्ध TCIL द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया गया। अपील आवेदन के आलोक में विधिवत सूचना निर्गत करते हुए दिनांक 16.01.2019 के अपराह्न 3:00 बजे उभय पक्षों को सुना गया।

TCIL के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 34 SNCU में सिर्फ एक SNCU सिवान का कार्य विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं कराया जा सका था। उक्त SNCU सिवान का निर्माण कार्य भी पूर्ण करा दिया गया है और उसे 03.12.2019 को उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, सिवान को हस्तगत कराया जा चुका है। TCIL के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्गत काली सूची में दर्ज करने संबंधी उक्त आदेश को निरस्त किया जाय।

राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा TCIL को कुल 34 SNCU के निर्माण कार्य का दायित्व सौंपा गया था जिसमें 33 SNCU का निर्माण कार्य TCIL द्वारा पूर्ण कर दिया गया था। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा मात्र एक SNCU सिवान का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई प्रसंगाधीन आदेश के द्वारा की गयी है। TCIL द्वारा उक्त निर्माण कार्य भी पूर्ण कराकर जिला स्वास्थ्य समिति को भवन हस्तगत करा दिया गया है। एकरारनामा के अधीन योजना कार्य में बिलम्ब हेतु 5% (पाँच) राशि की कटौती भी की गयी है।

उपर उल्लेखित विशेष परिस्थिति में, TCIL , जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, के विरूद्ध निर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के आदेश ज्ञापांक 5386 दिनांक 24.10.2019 को निरस्त **(Quash)** किया जाता है। इस आदेश के साथ अपील वाद का निष्पादन किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित करें।

ह/o

(संजय कुमार)

(640)

ज्ञापांक 7703 दिनांक 20/1/2020

प्रतिलिपिः कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी सिविल सर्जन/सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/1/2020
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग